कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2022–23 / 321 दिनांक :– 12/1/23

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पीडब्लूडी),
अजमेर सर्किल, अजमेर।

विषयः– Diversion of 4.47 Hectare Forest Land for Widening and Curve Improvement on Existing Road Alignment between existing chainage 17.350 km to 19.600 km of Kishangarh Hanumangarh Mega Highway Project village Chakbeer, Tehsil Roopangarh, Distt. Ajmer. Forest land diversion.FP/RJ/ROAD/18883/2016

संदर्भः– आपका पत्रांक दिनांक 14.12.2022 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी / राज / 06 / 19 / 2020 / एफ.सी. दिनांक 30.11.2021 की सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना प्रस्तुत की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के क्रम मे निम्नानुसार मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी / राज / 06 / 19 / 2020 / एफ.सी. दिनांक 30.11.2021 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 2 एवं 5 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य NFL खसरा / कम्पार्टमेन्ट संख्या 754 ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर पर किये जाने हेतु वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी। वर्तमान श्रमिक दर 259 / – को समायोजित करते हुए अंतर राशि है।	53354/-	कुल राशि रू. 188002 / – को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किये गये उल्लधन हेतु Penal NPV राशि की गणना उल्लधन होने की दिनांक से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक 30.11.2021 तक पैरा 1.21(ii)a&b of FCA hand book 2019 अनुसार गणना निम्नानुसार अंतर राशि **जनवरी 2023 तक 12प्रतिशत ब्याज सहित कुल अंतर राशि 134648 रूपये मात्र जमा करावे।**	134648/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग	188002.00	

उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 4 की पालना मे 4.47 हैक्टर गैर वन भूमि ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर को वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कराते हुए तुरन्त वन विभाग के नाम दर्ज जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करावे ताकि बिन्दु संख्या 4 की पालना मे उक्त भूमि को रक्षित / आरक्षित कराने की प्रक्रिया प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व पूर्ण कराई जा सके। साथ प्रकरण मे बिन्दु संख्या 12 के क्रम मे एफआरए प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी जमा करावे।

भवदीय,

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आलोच्च्य प्रकरण मे सक्षम स्तर से बिना विधिवत स्वीकृति जारी हुए कोई भी कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ना किया जावे तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लधन ना किया जावे यह सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर